न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 28/2011 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— मनीराम पुत्र श्री पुराराम जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली पुलिस थाना जवाहरनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री राजेन्द्रसिंह भास्कर — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 19.02.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28.03.2011/30.5.11 जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 8/78 डीएम गंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 8/78 डीएम गंगानगर बना है, जिस पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 96025 दर्ज है तथा दिनांक 31.9.2009 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 18.01.2010 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 578 दिनांक 08.06.2010 में अपीलांट के विरूद्ध पुलिस थाना जवाहरनगर में मुकदमा सं. 79/94 अन्तर्गत धारा 302, 341, 323, 307 भादंसं में चालान होकर न्यायालय में विचाराधीन होना अंकित करते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई। अपीलांट ने सुनवाई के दौरान उक्त मुकदमा में माननीय न्यायालय से दोष मुक्त होने से संबंधित निर्णय दिनांक 20.3.98 की प्रति प्रस्तुत की। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 8.6.10 एवं मुकदमा गंभीर प्रकृति का होने तथा माननीय उच्च न्यायालय राज. जयपुर की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त 2007(3)डीएनजे(राज.)1509 कमरूद्दीन बनाम स्टेट ऑफ राज. के निर्णय दिनांक 30.7.07 का आधार लेते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2011 / 30.5.11 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 8 / 78 डीएम श्रीगंगानगर को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की गयी है ।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अपीलान्ट ने अपील मीमो अनुसार मुख्य रुप से कथन किया है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 8.6.10 में अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 79 / 94 अन्तर्गत धारा 302, 341, 323, 307 भादंसं में दर्ज होना बताकर उसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की, जो उचित नहीं हैं, क्योंकि अपीलांट को उक्त प्रकरण में न्यायिक निर्णय दिनांक 20.3.98 द्वारा माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। अपीलांट के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण आदिनांक तक किसी भी प्रकार का दर्ज व लम्बित नहीं है। अपीलांट ने कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है। अपीलांट एक सामाजिक प्रतिष्ठित व शांति प्रिय नागरिक है। अपीलांट ग्राम पंचायत साधुवाली में भूतपूर्व उप सरपंच भी रह चुका है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य होना बताते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 8.6.10 में अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की गंभीर धाराओं में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय राज. जयपुर की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त 2007(3)डीएनजे(राज.)1509 कमरूद्दीन बनाम स्टेट ऑफ राज. के निर्णय दिनांक 30.7.07 को दृष्टिगत रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2011 / 30.5.11 उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.11 के विरुध्द

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

यह अपील पेश की गयी है, जबकि वास्तव में आदेश दिनांक 30.5.11 पारित हुआ है किन्तु सहवन से अपीलाधीन आदेश के अन्तिम पैरा में आदेश सुनाये जाने की तिथि 28.3.11 लिखी गयी है एवम् अपीलान्ट द्वारा उक्त 28.3.11 के विरुध्द यह अपील पेश की गयी है, जो मियाद में शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 8.6.10 में आवेदक का शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई है, जबकि वर्णित आपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय जिला एव सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 20.3.98 द्वारा अपीलांट को दोषमुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में कोई ओर आपराधिक प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध ना तो दर्ज हुआ है और ना ही विचाराधीन है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उक्त आपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.3.98 के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त प्रकरण में सहअभियुक्त रहा है, एवम् मुकदमे में सहअभियुक्तों को दोषी मानते हुए दण्डित भी किया गया है। हम विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा किये गये कथनानुसार माननीय उच्च न्यायालय राज. जयपुर की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त 2007(3)डीएनजे(राज.)1509 कमरूद्दीन बनाम स्टेट ऑफ राज. के निर्णय दिनांक 30.7.07 एवं जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिससे सहमत हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की गंभीर धाराओं में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा है । ऐसे में व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर भी अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट ने इस न्यायालय में कोई नवीन सबूत–साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर गौर किया जा सके।

8. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार हम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.11/30.5.11 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 19.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर